आशा सामाजिक विद्यालय गोनवारा (समस्तीपुर) की रिपोर्ट

दिनांक 8.04.2008 से 11.04.2008

यात्रा वृत्तान्त : मैं कैथी वाराणसी से समस्तीपुर, बिहार के लिए दिनांक 8 अप्रैल 2008 को शाम 4.30 बजे औरिहार स्टेशन से मुजफ्फरपुर के लिए निकला जो कि 284 कि.मी. दूरी पर है वहां से समस्तीपुर के लिए ट्रेन बदली जो कि 52 कि.मी. दूरी पर है उसके पश्चात रूसेरा के लिए ट्रेन बदली जो कि समस्तीपुर से 29 कि.मी. दूरी पर है वहां से बस द्वारा कोलुआ घाट पहुंचा जो कि रूसेरा से 15 कि.मी. दूरी पर है वहां से माहें गांव के लिए पैदल चला जो कि 4 कि.मी दूरी पर है करीब 9.00 बजे सुबह दिनांक 9 अप्रैल 2008 को मैं मनोज के घर पर पहुंच गया. माहें गांव दक्षिण में बागमती नदी व पूर्व में कोसी नदी के मध्य में बसा है. यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहां हर साल बाढ़ भारी तबाही लाती है. हर साल होने वाली प्राकृतिक आपदा से यहां के निवासी आदी हो गए हैं अत: हर साल इस आपदा का सामना करते हुए नए जीवन की शुरूआत करते हैं.

मनोज के घर पहुंचने पर पता चला कि मनोज नहीं है वह समस्तीपुर अपना चेक अप कराने गया हुआ था. मनोज से मेरी फोन पर बातचीत हुई, उसने कहा उसे देर हो जाएगी अतः आज केंद्र पर नहीं जा सकेंगे अत: हमने दूसरे दिन केंद्र पर जाने का निर्णय किया. शाम को करीब 8.00 बजे मनोज वापस आए तो उनसे केंद्र के वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की तथा अगले दिन के कार्यक्रम तय किया.

आशा सामाजिक विद्यालय, गोनवारा

दिनांक 10.04.08 की सुबह मैं (गोविन्द) और मनोज गोनवारा के लिए साइकिल पर निकले. गोनवारा माहें गांव पंचायत का ही एक मजरा है, यह माहें गांव के उत्तर में 5 कि.मी. दूरी पर एकदम अंतिम छोर पर स्थित है. रास्ते में जाते समय मनोज ने मुझे वह स्थान दिखाया जहां पर उसने अपना

केंद्र शुरू किया था, महेशजी द्वारा लिखित अपनी पूर्व रिपोर्ट में उस स्थान को देखने की बहुत इच्छा थी. रिपोर्ट में लिखित वह पीपल का वृक्ष तो था पर वहां केंद्र का अस्तित्व ना था कुछ बांस एवं बल्लियां ही शेष थीं. मनोज ने बताया तूफान आंधी के कारण केंद्र टूट गया है चूंकि अभी गेहूं के कटान का समय है जिस कारण इस केंद्र की मरम्मत नही हो पा रही जैसे ही गांव वाले खाली होते हैं वैसे ही केंद्र का निर्माण हो जाएगा.

हम गोनवारा टोला पहुंचे यह मूसहर आबादी टोला है. यहां के रहने वाले सभी परिवार मूसहर जाति के हैं. इस टोले में करीब 35 से 40 के आसपास मकान हैं तथा 250 लोगों की आबादी है । इस टोले के लोग भूमिहीन हैं तथा वंचित वर्ग के हैं यहां के लोग दूसरों के खेतों में मज़दूरी करते हैं तथा ईंट भट्टों पर काम करते हैं ।

मैने देखा कि राजेश सदा एवं सिकन्दर सदा जो कि आ० सा० वि० के अध्यापक हैं एक बांसों के झुरमुट के पास खड़े हो कर बच्चों के आने का इन्तज़ार कर रहे थे. यहां पर काफी छाया थी, आज कल इसी जगह पर सेंटर चलता है. जब हम टोला में पहुंचे तो देखा कि कुछ बच्चे भैंसों के ऊपर बैठ कर खेतों की तरफ जा रहे थे करीब 15 बच्चे हाथों में किताबें और दरी ले कर बांस के झुरमुट की तरफ आ रहे थे.

बच्चों ने बैठने की जगह को साफ किया तथा अपनी अपनी दरियां बिछा कर पढ़ने बैठ गए, जो बच्चे भैंसों पर बैठकर खेतों की तरफ जा रहे थे वे भी थोड़ी देर मे आ गए. कुल बच्चों की संख्या 25 हो गई जिसमें 7 लड़कियां व 18 लड़के थे, जिनकी उम्र 6 से 12 वर्ष की थी. मैने मनोज से पूछा कि रिपोर्ट में बच्चों की संख्या 52 थी तो मनोज ने बताया कि अभी फसल की कटाई का समय है जिस कारण बहुत से बच्चे अपने माता पिता के साथ खेतों पर काम करने गए हैं. और जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं वे उस टोले में चल रहे आंगनबाड़ी में पढ़ने जाते हैं. मैने बच्चों से पूछा कि उनके बाकी साथी कहां हैं तो बच्चों ने बताया कि जो बच्चे बड़े हो गए वे दूर शहरों में काम

करने चले गए, कुछ ईंट भट्टों पर काम करने तथा कुछ खेतों पर काम करने चले गए.

मैने बच्चों से बातचीत किया तथा उनसे किताब पढ़वाया तथा कुछ गणित के सवाल दिए उन में से अधिकतर बच्चों को किताब पढ़ना, अंकों को पहचानना, जोड़ घटाना व पहाड़ा करना आता था. बच्चों को लिखने के लिए दिया कुछ व्याकरण में कमी थी, बच्चों से बातचीत के दौरान यह पता चला कि वे मनोज के इस प्रयास से लाभ पा रहे हैं, उन्हें थोड़ा सामान्य ज्ञान के बारे में भी बताया जाता है, मैने उनसे कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जैसे भारत की राजधानी, भारत के प्रधानमंत्री का नाम, वे किस राज्य में रहते हैं, गांव का नाम, राज्य की राजधानी आदि. मैने पाया कि बच्चों का सामान्य ज्ञान अपेक्षाकृत ठीक था, मैने बच्चों से पूछा कि आप पढ़ क्यों रहे हैं उस पर बच्चों ने जवाब दिया कि 'उन्हें कोई ठग नहीं सकेगा', बच्चों ने बताया कि मनोज उन्हें खेल व गीतों के माध्यम से पढ़ाते हैं, बच्चों ने कविताएं भी सुनाई. इस विद्यालय में बिहार राज्य द्वारा संचालित पुस्तके पढ़ाई जाती हैं.

इसके बाद मै टोले में जा कर लोगों से मिला हलांकि अधिकतर लोग खेतों पर गए हुए थे फिर भी कुछ लोग मिले उनसे मनोज के शिक्षण कार्य के बारे में पूछा क्या वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उन्होने कहा कि जो उनके छोटे बच्चे हैं वे आंगनबाड़ी में पढ़ने जाते हैं तथा बड़े बच्चे मनोज के सेन्टर पर पढ़ने जाते हैं.

मैने उनसे पूछा कि क्या वे अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल भेजेंगे इस पर वे बोले कि सरकारी स्कूल उनके टोले से बहुत दूर है (7 कि.मी.) तथा वे आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि उन्हे अपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ता है, लेकिन जब तक इस सेन्टर पर पढ़ सकते हैं पढ़ाएंगें. उन्हें इस बात से खुशी है कि उनके बच्चे किताब पढ़ लेते हैं तथा अंकों को पहचानना, जोड़ घटाना व पहाड़ा कर लेते हैं. उन्होने बताया कि मनोज उनके बच्चों को लिखने के लिए कापी पेन व पढ़ने के लिए किताबें देते

हैं, इसका श्रेय वे मनोज तथा उसके साथियों (सिकन्दर सदा व राजेश सदा) को देते हैं, टोला वासियों ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस टूटे हुये सेन्टर का निर्माण कर देगें ताकि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए जगह मिले.

समस्या :

इस सेन्टर पर मुख्य समस्या है कि बच्चों का पलायन . बच्चे जैसे ही 12 या 13 साल के होते हैं उनके अभिभावक उन्हें नौकरी करने खेतों पर या फिर ईंट भट्टों पर या फिर गांव के जानवरों को चराने के लिए या फिर बाहर के राज्यों में मजदूरी करने भेज देते हैं. सरकारी स्कूल वहां से काफी दूर होने की वजह से भी बच्चे स्कूल तक नही जा पाते हैं . चूंकि यह लोग मूसहर जाति के हैं जिन्हें हीन भावना से देखा जाता है तथा इनका सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक शोषण होता है जिसके कारण ये लोग अपने बच्चों को स्कूल नही भेज पाते हैं.

केन्द्र की आवश्यकता :

इस सेन्टर की आवश्यकता है क्योंकि इस जाति के लोगों के लिए मुख्यधारा की शिक्षा पद्धति मे आना बहुत ही मुश्किल होता है चूंकि यह लोग सामाजिक रूप से बहिष्कृत होते हैं अत: इनके लिए अनौपचारिक शिक्षा पद्धति ही उचित होगी ताकि कम से कम वे शिक्षा के महत्व को धीरे धीरे समझेंगें . जिस परिवेश के ये बच्चे हैं उनके लिए स्कूल तक जाना और वहां पर लगातार 4 से 5 घंटे पढ़ना मुश्किल होगा. आज गांव वालों को यह बात समझ में आ गई है कि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्थाई जगह मिले ताकि ठीक से पढ़ाई होती रहे. यहां पढ़ाने वाले दोनों अध्यापक (सिकन्दर सदा एवं राजेश सदा) भी मूसहर जाति के हैं

कुछ बच्चों में पढ़ने की रूचि को देखकर यह महसूस होता है कि इनमे से कुछ बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा पद्धति में जा सकते हैं जिससे और बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को प्रोत्साहन मिले.

माहें व डेंगराही प्रस्तावित केन्द्र :

माहें सेन्टर माहें गांव में ही मनोज की जमीन पर बने एक झोपड़ीं में चलता है, जो कि एक ट्यूशन के रूप में चलता है.संचालन समय शाम 3 से 6 तक है. यहां पर आने वाले सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं. यहां आने वाले बच्चे इसी गांव के दलित, हरिजन, तेली, कुम्हार आदि वर्ग से आते हैं. यहां राजपूत जाति के लोगों का वर्चस्व है, यहां पर राजपूत तथा दलित वर्ग के लोगों मे काफी असामानता है जिससे इनमें हमेशा टकराव की स्थिति रहती है, माहो की आबादी करीब 6000 हजार है .

मनोज अपने इस सेन्टर पर बच्चों को पढ़ाते हैं ये वे बच्चे हैं जो स्कूल में तो पढ़ते हैं पर जैसा कि सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ अध्यापक खानापूर्ति के लिए ही पढ़ाते हैं खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों मे होता है जिस कारण वहां के बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि कम होती जा रही है. इस बात को ध्यान में रखते हुए मनोज ने इस सेन्टर की शुरूआत 2 साल पहले की थी. इस सेन्टर पर करीब ३0 बच्चे पढ़ते हैं. प्रत्येक बच्चे से रु 30.00 प्रतिमाह शुल्क निर्धारित है लेकिन इनमें से अधिकतर पैसा नही दे पाते हैं. यहां बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरुक किया जाता है तथा उनके व्यक्तित्व में विकास का एक प्रयास है ।

डेंगराही सेन्टर जो कि माहें गांव का ही हिस्सा है बागमती नदी के दक्षिण में स्थित है. यह सेन्टर सिकन्दर सदा द्वारा शाम के 3 से 6 बजे तक संचालित किया जाता है . डेंगराही में मूसहर एवं मुस्लिम जाति के लोग रहते हैं. यह सेन्टर भी माहें सेन्टर की तरह ट्यूशन के रूप में चलता है. यहां पर आने वाले सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं. इस सेन्टर

पर करीब 30 बच्चे पढ़ते हैं. यहां भी 30.00 प्रतिमाह शुल्क निर्धारित है किन्तु इनमें से अधिकतर पैसा नही दे पाते हैं.

<u>अन्य सामाजिक कार्य :</u>

मनोज व उनके साथी शिक्षक शिक्षा के कार्य के साथ सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं. मनोज 'सूचना का अधिकार' , सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना पर जन आंदोलन के जरिए जन जन मे इन मुद्दों के प्रति जागरुकता एवं क्रियान्वयन के लिये सक्रिय हैं. स्थानीय स्तर पर लोगों को सूचना के अधिकार के प्रति जागरुक करना, राशन वितरण प्रणाली मे प्रत्येक नागरिक को बताना, शिक्षा के प्रति जागरुक करना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत लोगों को जॉब कार्ड दिलवना व उनसे सम्बन्धित अधिकारों की जानकारी देने के प्रति कार्यबद्ध हैं.

मनोज अपने क्षेत्र में एक मज़बूत जन संगठन के निर्माण में भी लगें हैं ताकि उपरोक्त सभी मुद्दों को क्रियान्वित कराने के लिए सरकार व प्रशासन पर एक जनसामुहिक दबाव बनाया जा सके. जिससे क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके.

<u>बाढ़ राहत कार्य :</u>

बिहार के करीब २० जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जिसमे समस्तीपुर जिला भी शामिल है, यहां हर साल बाढ़ आती है. माहें ग्राम पंचायत सिंघिया प्रखण्ड में आता है जैसा कि उपरोक्त विवरण में मैने लिखा है कि माहें ग्राम पंचायत दक्षिण में बागमती नदी व पूर्व में कोसी नदी के मध्य में बसा है. यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहां हर साल बाढ़ भारी तबाही लाती है, हर साल होने वाली प्राकृतिक आपदा से यहां के निवासी आदी हो गए हैं माहें ग्राम

पंचायत दक्षिण जो कि सिंघिया प्रखण्ड में आता है जो सरकारी दस्तावेज के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित है. यह बाढ़ तबाही के साथ साथ होने वाली कई बिमारियां भी साथ लाती है. यहां बाढ़ प्रत्येक वर्ष में चार महीने तांडव मचाती है. जुलाई से अक्टूबर तक यहां के निवासियों को बाढ़ की विभीषिका सहन करनी पड़ती है, जब बाढ़ आने वाली होती है यहां के लोग अपने जरूरतों का सामान लेकर बागमती व डेंगराही के मध्य बने तटबंध पर चले जाते हैं, बाढ़ के समय इस तटबंध पर हजारों की संख्या में जमा हो जाते हैं. इनके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है . लोगों ने तटबंध पर बांस व फूस के झोपड़ियां अस्थाई रूप से बना कर रखे हैं ताकि साल के बाढ़ के ये चार महीने लोग अपने परिवारों की सुरक्षा कर सकें. इस दौरान यहां भयंकर बिमारियां फैलती हैं जैसे प्लेग, मलेरिया, डायरिया इत्यादि. इन्सान तो अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा जैसे तैसे कर लेता है अकाल मृत्यु के ग्रास बनते हैं पालतू जानवर जिन्हें मरने के लिए बाढ़ के पानी में छोड़ दिया जाता है अगर बच गए तो ठीक नही तो उनके मृत शरीर पानी में सड़ते हैं व बिमारी फैलती है. इस प्राकृतिक आपदा के समय इन्सानों का जानवरों के प्रति मोह खत्म हो जाता है.

बाढ़ के समय चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है आवागमन के सारे माध्यम बन्द हो जाते हैं. सिर्फ नाव ही एक मात्र साधन रहता है, जिस पर अधिक भार होने से नाव के डूबने का खतरा रहता है कभी कभी नाव पलट जाती है और लोग डूब जाते हैं, इस दौरान नाव मालिकों द्वारा खूब अधिक किराया वसूला जाता है क्योंकि सिर्फ नाव ही एक माध्यम होता है आने जाने का.

सरकार द्वारा राहत कार्य दिया जाता है पर उसकी मात्रा व वितरण इतना असामान्य होता है कि कई लोगों को ना ही सामान नही मिल पाता है और राहत राशि मिल पाती है. सरकार राहत घोषणा करती है पर राहत राशि में इतना घोटाला होता है कि जो पैसा इन बाढ़ पीड़ितों के लिए आता है उसे यह

सरकारी तंत्र मे बैठे नेता और अफसर खा जाते हैं बाद में फिर इन घोटालों का पता चलता है तब तक बाढ़ चली जाती और सूखा आ जाता है . भ्रष्टाचार का नया साधन तैयार हो जाता है. क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों को कुछ न कुछ अवश्य मिल जाता है लेकिन जो वाकई में प्रभावित लोग हैं उन्हे शायद ही कुछ मिल पाता है. मेरी कुछ बाढ़ प्रभावित लोगों (जगदीश सदा, रामदेव सदा, रामज्योति देवी, रामभरोसे, सिकन्दर, अशोक मलिक, इनरसा देवी, सुदमिया देवी इत्यादि) से बातचीत हुई उन्हे आजतक कोई राहत मुआवजा नही मिला जबकी सरकार की तरफ से मुआवजा घोषित हो चुका है . इस वर्ष बाढ़ में "आशा" द्वारा राहत सामग्री प्रदान करी गई, मनोज ने अपने क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित किया. वहां के लोगों से पूछने पर पता चला कि मनोज ने साथियों के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों को सामान दिया. राहत सामग्री इस प्रकार हैंः 31 पोलीथीन शीट, 51 कि.ग्रा.च्यूड़ा, मोमबत्ती , गुड़ , धुलाई पाउडर, नमक , माचिस के पैकेट एवं करीब 50 परिवार को कुछ दिन भोजन दिया गया.

हलांकि यह राहत जो प्रदान की गई यह पर्याप्त नहीं थी परन्तु गांव वालों को एक आशा ज़रूर बनी कि मनोज जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भविष्य में उनकी इस समस्या का निदान अवश्य करेंगें ताकि एक मज़बूत जन संगठन के माध्यम से इनकी इस प्राकृतिक आपदा की समस्या से होने वाले भीषण तबाही से सरकार व प्रशासन गम्भीर रूप से विचार करें तथा इसका कोई स्थाई हल निकालें.

<u>**आशा बाल पुस्तकालयः**</u> आशा वाराणसी द्वारा जुलाई 2006 में यहां 2 सेट पुस्तकालय दिये गये थे जिसमें लगभग 540 पुस्तकें प्रतिसेट थी. इन पुस्तकों का प्रारम्भक दिनों मे तो उत्साह के साथ प्रयोग किया गया जिसका विधिवत रजिस्टर भी अंकित किया गया था. किन्तु अब पुस्तकों का वितरण बिना किसी रजिस्टर पर अंकित किये किया जाता है जिससे कुछ पुस्तके गायब भी हुयी हैं.रजिस्टर न अंकित किये जाने से पाठक संख्या का पता नहीं चल सका.

सुझाव :

1. गोनवारा सेन्टर को अनौपचारिक शिक्षा पद्धति से ही चलने दिया जाए.
2. वहां के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे नए तरीकों से शिक्षा पद्धति को रोचक बनाएं जिससे उन बच्चों में शिक्षा के प्रति लगाव बढ़े, ताकि अध्यापक कुर्सी पर बैठने वाली पद्धति से ना चिपकें.
3. बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण रखा जाए ताकि बच्चे देख सकें कि शिक्षित दुनिया किस तरह से नए नए आविष्कार कर रही है . इससे उनमें शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा
4. किताबों का चयन करते समय यह ध्यान दें कि चित्रों के माध्यम का प्रयोग अधिक हो जिससे बच्चों के साथ उनके माता पिता भी शिक्षा की तथा किताबों के संसार को देख सकें तथा उनके भीतर भी रुचि पैदा हो सके.
5. डेंगराही और माहे केन्द्र के लिये अलग से किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है फिर भी इन बच्चों का शैक्षिक भ्रमण कराया जा सकता है.
6. जब मनोज या अन्य कार्यकर्ता बच्चों के माता पिता के साथ बैठक करें तो उस बैठक में बच्चों को भी शामिल करें.
7. टोला में सरकार द्वारा चलाए जा रहे आंगनबाड़ी कार्यक्रम के साथ मिल कर शिक्षा के कार्य में सहयोग करें तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिनका नाम सुधा देवी है उनसे ६ वर्ष से कम आयु के बच्चों के शिक्षा के बारे में संवाद रखें ताकि वहां से पढ़ने के बाद बच्चे पढ़ाई करना न बन्द करें.

8. सभी केन्द्र जो आशा के सहयोग से संचालित किये जा रहे हैं उनमें आशा सामाजिक विद्यालय का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है जबकि यह आवश्यक है.केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति का कोई रजिस्टर भी नहीं है जबकि रजिस्टर रहने से बच्चों की नियमितता की जानकारी हो पाती है. बोर्ड एवं उपस्थिति रजिस्टर की व्यवस्था हर केन्द्र पर होनी चाहिये.

9. बाढ़ हर वर्ष आना तय है अतः उसके पूर्व ही आवश्यक सामग्री, दवा, वैक्सीन इत्यादि की व्यवस्था कर लेनी चाहिये.

10. सरकारी विभागों में बाढ़ राहत के लिये व्यय किये जाने वाले धन के विषय में सूचना अधिकार का आवेदन लगाकर जानकारी प्राप्त करके उस पर जनदबाव से भ्रष्टाचार दूर करने का प्रयास होना चाहिये.

11. आशा वाराणसी द्वारा उपलब्ध कराये गये पुस्तकालय का समुचित उपयोग किया जाना चाहिये एवं विधिवत रजिस्टर पर जानकारी अंकित की जानी चाहिये.

(गोविन्द)
आशा वाराणसी
दिनांकः 14 अप्रैल 2008
91-9936864474
govind_asha@yahoo.com